

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2302 / एफ-2-15/31/एस-2/2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 26/06/2020

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी की बांध सुरक्षा ड्रिप फेस-II अन्तर्गत रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) में 04 नग 30मी. ऊँचाई हाट डीप गैलवानाईज पोल हाईमास्ट लाईनिंग सिस्टम के प्रदाय स्थापना एवं परीक्षण एवं 09 नग पूर्व से स्थापित हाईमास्ट लाईट सिस्टम का मरम्मत एवं 350 वॉट एल.ई.डी. लाईट पिक्चर लगाने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र.-17584/W/2020/3666, दिनांक 09.06.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी की बांध सुरक्षा ड्रिप फेस-II अन्तर्गत रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) में 04 नग 30मी. ऊँचाई हाट डीप गैलवानाईज पोल हाईमास्ट लाईनिंग सिस्टम के प्रदाय स्थापना एवं परीक्षण एवं 09 नग पूर्व से स्थापित हाईमास्ट लाईट सिस्टम का मरम्मत एवं 350 वॉट एल.ई.डी. लाईट पिक्चर लगाने का हेतु लागत राशि रु. 111.70 लाख (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना का कार्य बांध सुरक्षा ड्रिप फेस-II अन्तर्गत प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23 जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष-4700-वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, (6354) बांध पुर्नवास एवं सुधार परियोजना फेस-II, #26-वृहद् निर्माण कार्य 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 19.06.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खैर)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, वि./यां. मण्डल, जल संसाधन विभाग, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, वि./यां भारी संयंत्र संभाग रूद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

11/7/2020
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

